


कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 936 / 12-16, लखनऊ दिनांक 24 जून, 2016।

### स्थाई आदेश

प्रदेश में ई-गवर्नेन्स के माध्यम से कार्य सम्पादित किये जाने की नीति को बढ़ावा देने, उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम- 1976 के अन्तर्गत पूरी पारदर्शिता से कार्यवाही किये जाने तथा पातन अनुज्ञाओं का त्वरित गति से निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अवैध पातन पर नियंत्रण हेतु विकसित सॉफ्टवेयर ट्रेकिंग टूल को विकसित कराया गया है। जिसका सफल परीक्षण प्रदेश के 08 जनपदों में किया जा चुका है एवं वर्तमान में उक्त सॉफ्टवेयर सफलता पूर्वक विगत दो वर्षों से चलाया जा रहा है।

यह आदेश दिया जाता है कि Ease Of Doing Business के अन्तर्गत DIPP की Recommendation संख्या- 260 यथा- "Mandate online submission of inspection report within 48 hours to the Department" के क्रम में ऑन लाईन पातन अनुज्ञा निर्गत किये जाने के संबंध में स्थलीय निरीक्षण हेतु नामित अधिकारी द्वारा फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा Inspection Report जाँचोपरान्त 48 घण्टों के भीतर ऑन लाईन फेलिंग परमिट सिस्टम के पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड की जायेगी। यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

  
(उमेन्द्र) 23/6/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / तद दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव, वन अनुभाग- 2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(उमेन्द्र)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / तद दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप प्रपत्र निर्धारित करें एवं प्रतिमाह होने वाली प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(उमेन्द्र)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- / तद दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक वन सांख्यिकीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(उमेन्द्र)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।